(ख) यदि हां, तो उन विभागों के राज्यवार नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार पुरुष और महिला मजदूरों की मजदूरी में समानता लाने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या इस समस्या के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित करने का विचार है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975, जो कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, लागू करने से पहले, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ नियोजनों में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी दरें निर्धारित कीं । समान पारिश्रमिक अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियोजनों के बारे में उसी कार्य या समान कार्य करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है ; और किसी कानून, पंचाट, करार या सेवा संविदा में निहित कोई धारा जो कि अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है, लागू नहीं होगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

असंगठित क्षेत्रों में बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध

10110. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि विभिन्न फर्मों और असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक लगाने का कोई कानून बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष से कम की आयु वाले बाल-श्रमिकों की संख्या 107·4 लाख थी ।

(ख) और (ग). बच्चों का नियोजन निम्नलिखित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध किया जाता है :—

अधिनियम का नाम	निम्नलिखित वर्षों से कम आयु वाले बाल-श्रमिक के नियोजन को लागू होता है
1. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	15 वर्ष
2. बालक नियोजन अधिनियम, 1938	15 वर्ष
3. कारखाना अधिनियम, 1948	14 वर्ष
4. बागान श्रमिक अधिनियम, 1951	12 वर्ष
5. खान अधिनियम, 1952	15 वर्ष
6. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	15 वर्ष
7. भारतीय व्यापार जहाजरानी अधिनियम, 1958	15 वर्ष
8. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	14 वर्ष
9. शिशु अधिनियम, 1961	14 वर्ष
10. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	विभिन्न राज्यों में 12 से 14 वर्ष
11. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (विकिरण संरक्षण नियम, 1971)	18 वर्ष (ऐसे मामलों को छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई हो) ।